

2.1

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का विवरण— जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में पाताल भुवनेश्वर चौडमन्या मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि०मी० में पड़ने वाली 2.61 हे० वनभूमि का लो०नि०विं०को हस्तान्तरण

- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव जनपद पिथोरागढ़ के विकास स्पष्ट बैरीनाग मे पाताल
मुग्नेश्वर घौड़मन्या मोटर गार्ड लम्बाई 5.00 किमी० मे पड़ने
वाली 2.61हें ० वनभूमि का लो०नि०वि०कोहस्तान्तरण
लो०नि०वि०कोहस्तान्तरण

ख) 1:50,000 स्केल गैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के बनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला गैप। संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत। रु० 183.75 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औद्योगिक। एक मात्र नजदीकी समरेखण है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)
च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संमादना है। स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार मे ला पायेगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार्ता विवरणः

आरक्षित वनमूर्मि	0.00 है०
राज्य वनमूर्मि	1.71 है०
वन पंचायत मूर्मि	0.90 है०
नापमूर्मि	1.89 है०
योग	4. 50 है०

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
क) परिवारों की संख्या
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या
ग) पुरुषावास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) नहीं नहीं नहीं
 4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हाँ/नहीं) नहीं
 5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ—साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुखा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वरचनवद्धता (वरचनवद्धता संलग्न की जाए) संलग्न है।
 6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यूहा। संलग्न है।

Ex. P.R. Tamta

Alve

अविद्यार्थी अचिवना

प्रयोगस्तु इति० गिं०

८५४०६१ (प्रियंका)

दिनांक 26-७-१५ स्थान बेरीनाग

2.1

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति
मार्ग लम्बाई 5.00

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में पाताल मुवनेश्वर चौहान्या मोटर
किलोमीटर में पड़ने वाली 2.61 हेक्टेकॉर्ट वनभूमि का लोगिनियिको हस्तान्तरण

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र

उत्तराखण्ड

(ii) जिला

पिथौरागढ़

(iii) जिला वन प्रभाग

पिथौरागढ़

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:

(i) वन का प्रकार

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. भूदरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे

आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की

और टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके बौरे

2.1

2

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विशासत रथल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपादान किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्लौरा दे) नहीं

23. पूर्वेषण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : संलग्न हैं

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। न्यूनतम है

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेषण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिकमण के ब्लौरे : लगान है

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्विलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्लौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विलद की गई कार्यवाही नहीं

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रयुक्ति में है (हां/नहीं) है

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्लौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः संलग्न है

(ii) अवस्थिति, सर्वेषण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और हातिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्लौरे दें। संलग्न है

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के गूल में स्थल परत भारत का सर्वेषण और सामीक्षा वन सीमाएं संलग्न हैं। संलग्न है

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्लौरे संलग्न हैं (हां/नहीं) संलग्न है

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : संलग्न है

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपकरण संरक्षक से ग्राम-पत्र संलग्न है (हां/नहीं) संलग्न है

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समावात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं) संलग्न है

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों संलग्न है

28. क्या स्थल, जहां अंतर्विलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक हारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय। संलग्न है

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है। संलग्न है

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों संलग्न है

स्थान: संलग्न है

तारीख:

